प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
दौलतसिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 23 बी पृथ्वी राज नगरन्यु पाली रोड जोधपुर मोबाईल नंबर 9413707144		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आहोर
प्रकरण अपील		**29/2019**
कम्प्यूटर आई.डी		**2019/00089**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

01.10.2019

अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 16.10.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

23.10.2019

अपीलांट अनुपस्थित/सहायक लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)आहोर का जवाब पत्रांक/भू.अ./3932 दिनांक 23.10.2019 के जरिये प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)आहोर द्वारा जवाब में व्यक्त किया गया है, कि अपीलांट के सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के कम में आवेदित सूचना पत्रांक/3929 दिनांक 22.10.2019 के जरिये अपीलांट को उपलब्ध करवाने हेतु भिजवायी जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार आहोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबध में तहसीलदार आहोर द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/3929 दिनांक 22.10.2019 के भिजवाया जाना पाया गया है।लेकिन सूचना विलम्ब से भिजवायी जाने के संबंध में रेस्पोडेन्ट को यह निर्देश दिये जाते है, कि भविष्य में इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे, कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रो का परिक्षण कर सूचना का अधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जावे। ताकि उक्त अधिनियम के तहत आवेदक को समय पर सूचना मिल सके।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट को सूचना भिजवायी जाने के आधार पर अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है, कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.11.26 13:03:36 IST
Reason: SelfAttested